

परिपत्र संख्या-न्याय-व०प्र०अ०पटल-महत्वपूर्ण निर्णय/2011-12/ 1112028 / वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(वाद अनुभाग)  
लखनऊ::दिनांक:जून:: 27 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
समस्त एडी०कमि० ग्रेड-2(वि०अनु०शा०/प्रवर्तन)/अपील,  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर,  
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश ।

**विषय:- मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में ।**

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के परिपत्र संख्या-न्याय-व०प्र०अ०पटल-महत्वपूर्ण निर्णय/2010-11/1011105/वाणिज्य कर दिनांक 24-3-2011 का सन्दर्भ ले, जिसके द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराया गया है । उक्त परिपत्र में रिट पिटीशन संख्या-358/07, 359/07, 360/07 व 361/07 सर्वश्री मनोहर लाल हीरा लाल लि० बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य के मामले में निर्णय दिनांक 18-1-2011 के सन्दर्भ में यह उल्लेख किया गया था कि स्टील वायर व स्टील राड दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुयें हैं, जबकि मा० उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय में इस बिन्दु पर स्पष्ट मत न देते हुए करनिर्धारण अधिकारी के स्तर पर विचार हेतु छोड़ दिया है । अतः उपर्युक्त परिपत्र में पृष्ठ-2 के द्वितीय प्रस्तर में निम्न प्रकार पढ़े जाने का संशोधन किया जाता है :-

..... मा० उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों का सन्दर्भ देते हुए स्टील राड से निर्मित स्टील वायर एक ही वस्तु है अथवा भिन्न है, के बिन्दु पर विचार करने हेतु कर निर्धारण अधिकारी के लिए खुला छोड़ दिया गया है तथा धारा-21 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही को उचित ठहराते हुए रिट याचिका खारिज कर दी गयी है ।

कृपया उपर्युक्त परिपत्र में तदनुसार संशोधन को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें ।

( चन्द्रभानु )

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उ०प्र०, लखनऊ ।

पृ०पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- एडीशनल कमिश्नर(विधि) वाणिज्य कर, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/2(उ०न्या०कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ
- 3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(अपील) वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सर्वो०न्या०कार्य) वाणिज्य कर, गाजियाबाद ।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (मैनुअल अनुभाग) वाणिज्य कर, मुख्यालय को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 6- समस्त अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ ।
- 7- समस्त डिप्टी कमिश्नर एवं राज्य प्रतिनिधि, वाणिज्य कर, उ०प्र० ।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(वाद) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।